(2016) 9 एससीआर 736

श्रमिक राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ

बनाम

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य

(आई ए नंबर 2 ऑफ 2016)

(2015 की सिविल अपील संख्या 13953) में

अक्टूबर 03, 2016

[टी. एस. ठाकुर, सीजेआई, ए. एम. खान विलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.जे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 - धारा 10(1) (डी)- कामगारों के नियमितीकरण का निदेश देने वाले औद्योगिक अधिकरण का पंचाट - उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया जिसमें यह निदेश दिया गया कि प्रश्नगत उपभोक्ता को वरीयता दी जाए। "नियमित कामगारों को नियोजित किया जाता है - उच्च न्यायालय के न्यायनिर्णयन के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई - वर्षों बाद, विचाराधीन कामगारों ने मुकदमेबाजी का दूसरा दौर शुरू किया - माना गया : प्रश्नगत कामगार को बहाली की राहत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्णय में ऐसी राहत से इनकार कर दिया गया था जिसे चुनौती नहीं दी गई थी - श्रमिको के एक अन्य समूह के मामले से अंतर जहाँ बहाली के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा पारित पुरस्कार को उच्च न्यायालय द्वारा संसोधित किया गया था लेकिन अपील में उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया था और ट्रिब्यूनल का पुरस्कार बहाल कर दिया गया तथापि , इस मामले में पूर्ण, अंतिम और पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए, प्रतिवादियों ने प्रश्नगत प्रत्येक कामगार को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपए की एक विज्ञप्ति जमा करने का निदेश दिया।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत एक संदर्भ पर अधिकरण ने 1996 में एक अधिनिर्णय दिया था जिसमें प्रश्नगत कामगारों को नियमित करने का निदेश दिया गया था। तथापि, उच्च न्यायालय ने 2004 में पंचाट में संशोधन करते हुए निर्देश दिया कि जब नियमित कामगार नियोजित हों तो विचाराधीन कामगारों को प्राथमिकता दी जाए। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई थी। 2011 में,कामगारों

ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाहियों में मुकदमेबाजी का दूसरा दौर शुरू किया जिसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान अपील।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय

. अभिनिर्धारित : 1. तथ्यों से संकेत मिलता है कि 9 सितंबर 1996 को औद्योगिक न्यायाधिकरण के पुरस्कार ने प्रबंधन को निर्देश दिया

(घ) सरकार ने बीसीसीएल को कामगारों को नियमित करने के लिए कहा है, लेकिन बिना बकाया मजदूरी के। हालांकि, पुरस्कार को 18 मई 2004 को उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके तहत प्रबंधन को केवल उस मामले में आवश्यक था जब वह नियमित रूप से काम करने वाले को नियोजित करने का इरादा रखता था, ताकि प्रश्नगत कामगारों को वरीयता दी जा सके।

उच्च न्यायालय के आदेश को कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। जाहिर है, उच्च न्यायालय द्वारा पुरस्कार के संशोधन के लिए कोई चुनौती नहीं दी गई थी, जो श्रमिकों के एक अलग सेट से संबंधित एक अन्य संदर्भ के विपरीत थी।

उनके मामले में, औद्योगिक अधिकरण के अधिनिर्णय को उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील में संशोधित किया गया था। (ग) डिवीजन बेंच के फैसले को यूनियन द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक ट्रिब्यूनल के अवार्ड को बहाल किया गया था और बिना बैकवेज के बहाली का आदेश दिया गया था। हालांकि, वर्तमान मामले में तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय के आदेश को कभी चुनौती नहीं दी गई थी। [पैरा 61[740डी-जीआई

2. वर्तमान में उन्हें किसी भी स्थिति में बहाली देने का कोई अवसर नहीं है, ऐसी राहत को उच्च न्यायालय के 18 मई 2004 के फैसले में अस्वीकार कर दिया गया था जिसे चुनौती नहीं दी गई थी। हालांकि, काम करने वालों की दुर्दशा वास्तविक है। एक ही कंपनी के तहत एक ही कोलियरी में काम करने वाले दो सेटों को असमान व्यवहार मिला है। कामगारों के वर्तमान समूह को बड़ी संख्या में गिरावट का सामना करना पड़ा था और उन्हें कोई व्यावहारिक राहत नहीं मिली थी। उपर्युक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कानून में अनुमेय सीमा तक इस स्थिति का समाधान किया जाना चाहिए। पूर्ण, अंतिम और पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए, प्रश्नगत कामगारों को देय सभी दावों, बकाया और बकाया राशि के अंतिम निपटान में मुआवजे के भुगतान के लिए एक आदेश न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। प्रतिवादी प्रश्नाधीन 14 कामगारों में से प्रत्येक को देय मुआवजे के रूप में प्रत्येक को दो लाख रुपए की राशिजमा करनी होगी। [पैरा 7, 8] [741-ए-डीआई .

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2015 की सिविल अपील संख्या 13953 में 2016 का आइ ए नंबर 2।

2012 के एलपीए संख्या 203 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 16.07.2012 से।

अपीलकर्ता के लिए एस.के.सिन्हा

738 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2016] 9 एससीआर

अनुपम लाल दास, अनिरुद्ध सिंह, साहिल मोंगा, उत्तरदाताओं के लिए एडवोकेट।

न्यायालय का निर्णय किसके द्वारा दिया गया था?

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूण , जे.

1.अपीलकर्ता, जो एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन है, ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के तहत बलिहारी कोलियरी में लगे श्रमिकों के हितों का समर्थन किया। 20 मूल श्रमिकों में से 14 मैदान में बचे हैं। 1993 में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (d) के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक न्याधिकरण को एक संदर्भ दिया गया था

(क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

नियमितीकरण हेतु । संदर्भ इस प्रकार था: -

> "क्या राष्ट्रीय सहकारी मजदूर संघ की मांग है कि मैसर्स बीसीसीएल लिमिटेड की बलिहारी कोलियरी की भूमिका पर श्रमिकों को नियमित किया जाए, और उन्हें एनसीडब्ल्यूए के अनुसार मजदूरी का भुगतान उचित है? यदि हां, तो कामगार किस राहत के हकदार हैं?

औद्योगिक न्यायाधिकरण ने 9 सितंबर 1996 को उपर्युक्त संदर्भ में एक पुरस्कार दिया, संदर्भ 26 का 1993. अपने पंचाट द्वारा, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित शब्दों में संदर्भ की अनुमति दी: -

> "बीसीसीएल के प्रबंधन को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित कर्मचारी के रूप में संदर्भ के अनुलग्नक के अनुसार संबंधित कर्मचारी को नियमित करें। मैं इस पंचाट के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर उन्हें मजदूरी और अन्य सुविधाओं के साथ भेजने का अनुरोध करता हूं जिनके वे हकदार हैं। लेकिन कोई बकाया मजदूरी नहीं दी जाती है और न ही इसका दावा

किया जाता है। दोनों पक्षों में से किसी को भी कोई लागत नहीं दी जाती है। इस प्रकार संदर्भ का निपटान किया जाता है और यह मेरा अवार्ड है"।

2. अलग से, उपयुक्त सरकार ने 11 अगस्त 1994 को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) (डी) के तहत 76 श्रमिकों के संबंध में एक और संदर्भ दिया, जिन्हें बलिहारी कोलियरी में नियमितीकरण से वंचित कर दिया गया था। उस संदर्भ में, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा 14 अगस्त 2000 को बीसीसीएल को 76 श्रमिकों में से 73 को नियमित करने का निर्देश देते हुए एक पंचाट दिया गया था। प्रबंधन ने उच्च न्यायालय (2000 का सीडब्ल्यूजेसी 3824) के समक्ष रिट कार्यवाही में पुरस्कार को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने 26 जुलाई 2001 के एक फैसले से रिट याचिका को खारिज कर दिया। लेटर्स पेटेंट अपील (2001 का एलपीए 543) में, एक डिवीजन भारत कोकिंग कोल लिमिटेड [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

उच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने दिनांक 10 मार्च, 2003 के निर्णय द्वारा पंचाट को संशोधित करते हुए यह निदेश दिया कि जब कभी प्रबंधन नियमित कामगारों को नियुक्त करना चाहे तो वह प्रश्नगत कामगारों को, यदि आवश्यक हो, आयु और पात्रता की शर्तों के आधार पर वरीयता देगा। उच्च न्यायालय के निर्णय को संघ द्वारा 2006 की सिविल अपील संख्या 3962 में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। दिनांक 18 नवम्बर, 2009 के एक निर्णय और आदेश द्वारा सिविल अपील की अनुमति दी गई और औद्योगिक अधिकरण के अधिनिर्णय को बहाल कर दिया गया। परिणामस्वरूप, कामगारों को बिना किसी बकाया मजदूरी के बहाल करने का निर्देश दिया गया।

3.वर्तमान मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण का अधिनिर्णय दिनांकित

9 सितंबर 1996 को 18 मई 2004 के एक निर्णय द्वारा संशोधित किया गया था। 1997 के CWJC 1654 में उच्च न्यायालय। पुरस्कार को निम्नलिखित शब्दों में संशोधित किया गया था: -

"... आक्षेपित पुरस्कार को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि जब कभी मेसर्स बीसीसीएल नियमित कामगारों को नियुक्त करने का इरादा रखता है, तो वह इन 88 जमा 20 व्यक्तियों को, यदि वे अन्यथा उपयुक्त पाए जाते हैं, उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए और शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के संबंध में शर्त में छूट देकर भी वरीयता देगा।

संघ द्वारा उच्च न्यायालय के दिनांक 18 मई, 2004 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई थी। तथापि, 22 अगस्त, 2011 को कामगारों की ओर से प्रबंधन को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा 18 मई, 2004 को यथा संशोधित दिनांक 9 सितम्बर, 1996 के अधिनिर्णय द्वारा शासित लोगों के लिए रोजगार की मांग की गई थी। आखिरकार, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के

समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई जिसमें नियोक्ता को उच्च न्यायालय के 18 मई 2004 के आदेश के अनुसार 20 कामगारों को रोजगार देने का निर्देश देने की मांग की गई। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 21 मार्च, 2012 को रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का आह्वान करके औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के निष्पादन की मांग नहीं की जा सकती है। लेटर्स पेटेंट अपील में खंडपीठ ने दिनांक 16 जुलाई, 2012 के निर्णय द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के विचार की पुष्टि की। वर्तमान कार्यवाही डिवीजन .बेंच के दिनांक 16 जुलाई 2012 के फैसले को चुनौती देने के लिए शुरू की गई है।

4. इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, जो असफल रहा। 740 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2016] 9 एससीआर

28 अगस्त 2015 के एक आदेश द्वारा प्रबंधन को 22 अगस्त 2011 को कामगारों की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार, परियोजना अधिकारी द्वारा 16 सितंबर 2015 को एक तर्कसंगत आदेश जारी किया गया था। आदेश में कहा गया है कि 18 मई 2004 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा औद्योगिक ट्रिब्यूनल के अवार्ड को संशोधित किए जाने के बाद, कामगारों ने 22 अगस्त 2011 को एक अभ्यावेदन दायर करके और उसके बाद रिट कार्यवाही शुरू करके 2011 में मुकदमेबाजी का दूसरा दौर शुरू किया। याचिका खारिज करने वाले आदेश में कहा गया है कि इन कामगारों ने 1987-89 में एक डमी ठेकेदार के साथ काम किया था और तब से करीब 26 साल बीत चुके हैं। यह कहा गया है कि बीसीसीएल हाल तक बीआईएफआर के अधीन एक रुग्ण कंपनी थी और विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 18 मई, 2004 के आदेश के बाद भर्ती की कोई नियमित प्रक्रिया शुरू नहीं की थी। तथापि, यह नोट किया गया है कि यदि कोई नई भर्ती की जाती है तो प्रबंधन आयु और शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के अध्यधीन 14 कामगारों को वरीयता प्रदान करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेगा।

5. इन कार्यवाहियों में 27 नवंबर 2015 को अनुमति दी गयी थी

6.तथ्यों के विवरण से संकेत मिलता है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के 9 सितंबर 1996 के पंचाट ने बीसीसीएल के प्रबंधन को कामगारों को नियमित करने का निर्देश दिया, लेकिन बिना बकाया मजदूरी के। हालांकि, पुरस्कार को 18 मई 2004 को उच्च देश द्वारा संशोधित किया गया था। परिणामस्वरूप , प्रबंधन की आवश्यकता केवल उस स्थिति में थी जब वह नियमित श्रमिकों को नियुक्त करने का इरादा रखता था, उम्र और पात्रता के रूप में शर्तों में ढील देकर प्रश्न में श्रमिकों को वरीयता देने के लिए। कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ द्वारा

उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी। जाहिर है, 1994 के संदर्भ 204 के मामले के विपरीत उच्च न्यायालय द्वारा पुरस्कार के संशोधन को कोई चुनौती नहीं दी गई थी। उस मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय को 10 मार्च, 2003 को लेटर्स पेटेंट अपील में उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा संसोधित किया गया था। डिवीजन बेंच के फैसले को यूनियन द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप, 18 नवंबर 2009 के अंतिम निर्णय और आदेश द्वारा, औद्योगिक ट्रिब्यूनल के अवार्ड को बहाल कर दिया गया था और बिना बकाया वेतन के बहाली का आदेश दिया गया था। हालांकि, वर्तमान मामले में तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय के 18 मई 2004 के आदेश को कभी चुनौती नहीं दी गयी थी

7.कामगारों की मूल शिकायत यह है कि वर्तमान कार्यवाहियों द्वारा शासित कर्मकारों, जिनमें से केवल 14 ही मैदान में बचे हैं, वास्तव में वे ही व्याहारिक दृष्टि से कोई राहत या उपाय से वंचित है

कामगार 1987 और 1989 के बीच लगे हुए थे। तब को लगभग 27 साल बीत चुके हैं। 14 कामगारों में से कई सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के कगार पर होंगे। वर्तमान में उन्हें बहाल करने का कोई अवसर नहीं है क्योंकि किसी भी स्थिति में, उच्च न्यायालय के दिनांक 8 मई, 2004 के निर्णय में ऐसी राहत देने से इंकार कर दिया गया है, जिसे चुनौती नहीं दी गई है। हालांकि, काम करने वालों की दुर्दशा वास्तविक है। एक ही कोलियरी में कामगारों के दो समूहों के साथ असमान व्यवहार किया गया है। श्रमिको के वर्तमान समूह को कई संघर्ष का सामना करना पड़ा है और कोई व्यावहारिक राहत नहीं छोड़ी गई है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति का उस सीमा तक उपचार किया जाना चाहिए जो अब कानून में अनुमेय है; पूर्ण 'अंतिम और पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए, हम इस विचार के हैं कि विचाराधीन सभी दावों, देयताओ और बकाया राशि के अंतिम निपटान में मुआवजे के भुगतान के लिए एक आदेश न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा:

8.हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी धनबाद में केंद्र सरकार के न्यायाधिकरण (संख्या 2) में सभी 14 में प्रत्येक श्रमिक को देय मुआवजे के रूप में दो लाख रुपये जमा करेंगे! बकाया राशि जमा करने पर, 18 मई 2004 को उच्च न्यायालय द्वारा संसोधित औद्योगिक न्यायाधिकरण का दिनांक 9 सितम्बर 1996 का आदेश संतुष्ट अंकित किया जायेगा प्रतिवादी जमा करेंगे, यहाँ ऊपर बताई अनुसार राशि, सन्दर्भ 1993 के 26 में आज से दो महीने की अवधि के भीतर केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (II) धनबाद के समक्ष I यह राशि औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पहचान के उचित सत्यापन के अधीन सम्बंधित श्रमिको को वितरित की जाएगी

9. उपरोक्त शर्तों में सिविल अपील की अनुमति दी जाएगी। वहाँ लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा। अपील स्वीकृत की गयी ।

दिव्या पाण्डेय

यह अनुवाद शिव बचन यादव, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।